

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2015—चैत्र 10, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2015

क्र. 1959-94-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 मार्च, 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१५

[दिनांक २८ मार्च, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ मार्च, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१५ है.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,०८,५२,०१,९०,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दस हजार आठ सौ बावन करोड़ एक लाख नब्बे हजार होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व २८,००,०००	६,००,०००	३४,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व १,००,००,०००	०	१,००,००,०००
०५.	जेल	राजस्व ५,५१,००,०००	०	५,५१,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व २३,२१,०००	०	२३,२१,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१,२०,००,००,०००	०	१,२०,००,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	५,७५,००,००,०००	१,९४,७२,५२,०००	७,६९,७२,५२,०००
		पूंजी	७७,२८,४५,००,२००	०	७७,२८,४५,००,२००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	२२,४६,७८,०००	०	२२,४६,७८,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	५,१३,५६,०००	०	५,१३,५६,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	४,५०,०९,८०,०००	०	४,५०,०९,८०,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	८८,२६,३००	०	८८,२६,३००
		पूंजी	३००	०	३००
२१.	आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
२३.	जल संसाधन	पूंजी	६२,५०,००,०००	०	६२,५०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
	पूंजी	७०,००,००,०००	०	७०,००,००,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	८,८४,७००	०	८,८४,७००
	पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	७,७३,२०,०००	०	७,७३,२०,०००
	पूंजी	१,३९,४३,०००	०	१,३९,४३,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	१२,७५,००,०००	०	१२,७५,००,०००
	पूंजी	१००	०	१००
३४. सामाजिक न्याय	राजस्व	२६,८७,२३,०००	०	२६,८७,२३,०००
	पूंजी	३५,२५,४३,०००	०	३५,२५,४३,०००
३६. परिवहन	राजस्व	८,२५,३००	०	८,२५,३००
	पूंजी	३,८७,००,०००	०	३,८७,००,०००
३८. आयुष	राजस्व	६,२०,०००	०	६,२०,०००
	पूंजी	१५,८५,२५,०००	०	१५,८५,२५,०००
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	पूंजी	९०,००,००,०००	०	९०,००,००,०००
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	६,२०,०००	०	६,२०,०००
	पूंजी	१५,८५,२५,०००	०	१५,८५,२५,०००
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	६,२०,०००	०	६,२०,०००
	पूंजी	१५,८५,२५,०००	०	१५,८५,२५,०००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	६,२०,०००	०	६,२०,०००
	पूंजी	१५,८५,२५,०००	०	१५,८५,२५,०००
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	६,२०,०००	०	६,२०,०००
	पूंजी	१५,८५,२५,०००	०	१५,८५,२५,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	६,८४,६६,०००	०	६,८४,६६,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३३,२२,५८,०००	०	३३,२२,५८,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	पूंजी	६४,७५,००,०००	०	६४,७५,००,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	५,०९,०००	०	५,०९,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	५४,८६,८७,०००	०	५४,८६,८७,०००
		पूंजी	१६,५०,०००	०	१६,५०,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी	१,६५,००,०००	०	१,६५,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन	पूंजी	५०,००,०००	०	५०,००,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व	२,९१,००,०००	०	२,९१,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	४४,२७,४५,०००	०	४४,२७,४५,०००
		पूंजी	४,७०,७७,०००	०	४,७०,७७,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	५,४४,२२,००,०००	०	५,४४,२२,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७५. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
	राजस्व	९१,५५,००,०००	०	९१,५५,००,०००
	योग { राजस्व :	२५,७८,८२,६०,२००	१,९४,७८,५२,०००	२७,७३,६१,१२,२००
	{ पूंजी :	८०,७८,४०,७७,८००	०	८०,७८,४०,७७,८००
	वृहद-योग :	१,०६,५७,२३,३८,०००	१,९४,७८,५२,०००	१,०८,५२,०१,९०,०००

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2015

क्र. 1960-94-इक्कीस-अ (प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 9 OF 2015

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2015

[Received the assent of the Governor on the 28th March, 2015; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st March, 2015].

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the Services of the Financial Year 2014-2015.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty Sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2015.

Issue of Rs. 1,08,52,01,90,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2014-2015.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Ten thousand eight hundred Fifty Two Crores One Lakhs ninety Thousands, towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2014-2015 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
01.	General Administration & Lok Seva Prabandhan	Revenue	28,00,000	6,00,000	34,00,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
05.	Jail	Revenue	5,51,00,000	0	5,51,00,000
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department	Revenue	23,21,000	0	23,21,000
11.	Commerce, Industry and Employment	Revenue	1,20,00,00,000	0	1,20,00,00,000
12.	Energy	Revenue Capital	5,75,00,00,000 77,28,45,00,200	1,94,72,52,000 0	7,69,72,52,000 77,28,45,00,200
13.	Farmers Welfare and Agriculture Development	Revenue	25,00,00,000	0	25,00,00,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub Plan	Revenue	22,46,78,000	0	22,46,78,000
16.	Fisheries	Revenue	5,13,56,000	0	5,13,56,000
17.	Co-operation	Revenue	4,50,09,80,000	0	4,50,09,80,000
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue Capital	88,26,300 300	0 0	88,26,300 300

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
21.	Housing and Environment			
	Revenue	100	0	100
	Capital	25,00,00,000	0	25,00,00,000
23.	Water Resources Department			
	Capital	62,50,00,000	0	62,50,00,000
24.	Public Works-Roads and Bridges			
	Revenue	20,00,00,000	0	20,00,00,000
	Capital	70,00,00,000	0	70,00,00,000
25.	Mineral Resources			
	Revenue	8,84,700	0	8,84,700
26.	Culture			
	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
27.	School Education (Primary Education)			
	Revenue	7,73,20,000	0	7,73,20,000
34.	Social Justice			
	Revenue	1,39,43,000	0	1,39,43,000
36.	Transport			
	Capital	12,75,00,000	0	12,75,00,000
38.	Ayoush			
	Revenue	100	0	100
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection			
	Revenue	26,87,23,000	0	26,87,23,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan			
	Revenue	35,25,43,000	0	35,25,43,000
	Capital	8,25,300	0	8,25,300
44.	Higher Education			
	Revenue	3,87,00,000	0	3,87,00,000
45.	Minor Irrigation Works			
	Capital	90,00,00,000	0	90,00,00,000
47.	Technical Education and Skill Development			
	Revenue	6,20,000	0	6,20,000
	Capital	15,85,25,000	0	15,85,25,000
50.	Horticulture and Food Processing			
	Revenue	6,84,66,000	0	6,84,66,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.		
52.	Financial assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	33,22,58,000	0	33,22,58,000
55.	Women and Child Development	Capital	64,75,00,000	0	64,75,00,000
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
63.	Minority Welfare	Revenue	5,09,000	0	5,09,000
64.	Scheduled Castes Sub Plan	Revenue	54,86,87,000	0	54,86,87,000
		Capital	16,50,000	0	16,50,000
66.	Welfare of Backward Classes	Capital	1,65,00,000	0	1,65,00,000
67.	Public Works Buildings	Capital	50,00,000	0	50,00,000
69.	Information Technology	Revenue	2,91,00,000	0	2,91,00,000
73.	Medical Education Department	Revenue	44,27,45,000	0	44,27,45,000
		Capital	4,70,77,000	0	4,70,77,000
74.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	5,44,22,00,000	0	5,44,22,00,000
75.	Financial Assistance to Urban bodies	Revenue	91,55,00,000	0	91,55,00,000
Total		Revenue . .	2,5,78,82,60,200	1,94,78,52,000	27,73,61,12,200
		Capital . .	80,78,40,77,800	0	80,78,40,77,800
		Grand Total . .	1,06,57,23,38,000	1,94,78,52,000	1,08,52,01,90,000